BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुरेश पुत्र रामा जाटव निवासी फरीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2018 में अपने गावं निवासी सतेन्द्र सिंह पर लाइसेन्सी रिवाल्वर से जान से मारने की नियत से फायर कर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.01.2018 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 42/18 धारा- 307,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.04.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-12 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेश को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर